रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042023-245017 CG-DL-E-07042023-245017

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2023/चैत्र 17, 1945 No. 88] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2023/CHAITRA 17, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023

विषय: नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 की समीक्षा।

संख्या. एल-12015/1/2022-जीपी-II (ई-44157).—केंद्रीय सरकार समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 25 अक्तूबर, 2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 22013/27/2012-ओएनजी डी.V के क्रम में नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 में निम्नलिखित बदलावों को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

- 1. घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य (एपीएम मूल्य) समय-समय पर पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा यथा-परिभाषित कच्चे तेल की भारतीय बास्केट मूल्य का 10% होगा।
- 2. पीपीएसी द्वारा चालू माह के अंतिम दिन मासिक आधार पर एपीएम मूल्य घोषित किए जाएंगे। संबंधित माह के लिए इस एपीएम मूल्य का निर्धारण करने के लिए पिछले माह के 26वें दिन से चालू माह के 25वें दिन तक की अविध के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट मूल्य के दैनिक मूल्यों के आंकड़ों का औसत लिया जाएगा। उदाहरण के लिए दिनांक 26 मार्च 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अविध के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के दैनिक मूल्यों के औसत के आधार पर मई 2023 के लिए एपीएम मूल्यों की घोषणा दिनांक 30 अप्रैल 2023 को की जाएगी।

2346GI/2023 (1)

- 3. पीपीएसी 2014 के दिशानिर्देशों के तहत दिनांक 1.4.2023 से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक वैध मूल्यों के साथ-साथ इस अधिसूचना के तहत अप्रैल 2023 की शेष अविध अर्थात अधिसूचना जारी होने के दिन के बाद के दिन से माह के अंत तक के लिए एपीएम मूल्यों को अधिसूचित करेगा। बाद के माहों के लिए, एपीएम मूल्य माह के पहले दिन से लागू होंगे।
- 4. ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उनके नामांकन क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए एपीएम मूल्य न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा के अधीन होगा। प्रारंभिक न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्रमश: 4 डॉलर/एमएमबीटीयू और 6.5 डॉलर/एमएमबीटीयू होंगे। इस मूल्य सीमा को अगले दो वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25) के लिए बनाए रखा जाएगा और फिर इसमें प्रत्येक वर्ष 0.25 डॉलर/एमएमबीटीयू की वृद्धि की जाएगी।
- 5. संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के प्रावधानों के अधीन, पीपीएसी द्वारा यथा-घोषित यह एपीएम मूल्य वहां भी लागू होगा जहां एनईएलपी ब्लॉकों अथवा एनईएलपी-पूर्व ब्लॉकों के संबंध में सरकार द्वारा मूल्यों के अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं के तहत क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए ऐसे एपीएम मूल्य पर न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा लागू नहीं होगी।
- 6. सभी मौजूदा अथवा भावी ग्राहकों को ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों से आबंटित एपीएम गैस की आपूर्ति एमओपीएनजी द्वारा अधिसूचित उपयुक्त 'लो अथवा भुगतान करो' दायित्वों अथवा संविदागत सहमति के अधीन होगी।
- 7. ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों में नए कूपों अथवा कूप संबंधी उपाय से उत्पादित गैस, जहां एपीएम मूल्य न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा के अधीन हैं, इन एपीएम मूल्यों पर 20% प्रीमियम की अनुमित होगी। यह गैस सरकार की प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित नीति के अधीन भी होगी। एमओपीएंडएनजी द्वारा यह गैस एपीएम गैस से अलग से आबंटित की जाएगी। आबंटन एमओपीएनजी द्वारा यथा-अधिसूचित अथवा यथा-संविदागत सहमित के तहत उपयुक्त 'लो अथवा भुगतान करो' दायित्व के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। नए कूपों अथवा कूपों की पहचान के तौर-तरीकों को हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और तीन माह की अवधि के भीतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 8. पीपीएसी परिवर्तनशील आधार पर सीएनजी/पीएनजी उपभोक्ता मूल्यों की निगरानी के लिए एक पोर्टल तैयार करने और उसका रख-रखाव करने के लिए अधिदेशित है। पीपीएसी सीजीडी कंपनियों से नियमित रूप से अद्यतन डेटा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था तैयार करेगा। बगैर किसी विलंब के बदलते मूल्यों को दर्शाने के लिए पोर्टल को परिवर्तनशील बनाया जाएगा।
- यदि उपर्युक्त दिशानिर्देशों के संबंध में किसी और स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या अपेक्षित है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है।
- 10. नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 के अन्य सभी प्रावधान उपर्युक्त के अधीन वैध बने रहेंगे।
- 11. इन दिशानिर्देशों को सभी लागू कानूनों के प्रावधानों और अन्य संबंधित अधिसूचनाओं और सरकार के दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए पढ़ा जाएगा। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

आनन्द कुमार झा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the7th April, 2023

Subject: Review of New Domestic Gas Pricing Guidelines, 2014.

No. L-12015/1/2022-GP-II (E-44157).—In continuation of the Gazette Notification No. 22013/27/2012-ONG D.V. dated 25th October, 2014, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies following changes to the New Domestic Gas Pricing Guidelines, 2014:

- 1. Domestic Natural Gas Price (APM price) shall be 10% of the Indian Crude Basket Price as defined by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) from time to time.
- 2. The APM prices would be declared on monthly basis by PPAC on the last day of the current month. For determining this APM price for the relevant month, average of the daily prices data of India Crude Basket price shall be taken for the period 26th day of the previous month to the 25th day of the current month. For example, APM prices for May 2023 would be declared on 30th April 2023 based on the average of daily prices for Indian Basket of crude for the period 26th March 2023 to 25th April 2023.
- 3. PPAC shall notify prices under 2014 guidelines valid from 1.4.2023 till the date of issue of this notification as well the APM prices under this notification for the remaining period of April 2023 i.e. day after the day of notification to the end of the month. For subsequent months, the APM prices shall be applicable from 1st day of the month.
- 4. For the gas produced by ONGC & OIL from their nomination fields, the APM price shall be subject to a floor and a ceiling. The initial floor and ceiling prices shall be \$4/MMBTU and \$6.5/MMBTU respectively. The ceiling would be maintained for the next two years (FY 2023-24 and 2024-25) and then increased by \$0.25/MMBTU each year.
- 5. Subject to the provisions of respective Production Sharing Contracts (PSCs), this APM price, so declared by PPAC, would also apply where PSCs of NELP Blocks or Pre NELP blocks provide for Government's approval of prices. Floor and ceiling shall not apply to such APM price for gas produced from fields under these regimes.
- 6. Supply of allocated APM gas from nomination fields of ONGC and OIL to all existing or future customers shall be subject to suitable take or pay obligations as may be notified by MoPNG or as contractually agreed to.
- 7. Gas produced from new well or well intervention in the nomination fields of ONGC&OIL, where APM prices are subject to floor and ceiling, would be allowed a premium of 20% on these APM prices. This gas would also be subject to Government's policy related to commercial utilization of natural gas. This gas shall be allocated separately from the APM gas by MoP&NG. The allocation shall be done for a period of 5 years with suitable take or pay obligation, as notified by MoPNG or as contractually agreed to. The modalities for recognition of new wells or well intervention shall be finalized by Directorate General of Hydrocarbon and approved by MoP&NG within a period of three months.
- 8. PPAC has been mandated to prepare and maintain a portal for monitoring of CNG/PNG consumer prices on a dynamic basis. PPAC will develop suitable mechanism for receiving regularly updated data from the CGD entities. The portal would be made dynamic to reflect the changing prices without delay.
- 9. In case any further clarification or interpretation of the above guidelines is required, Ministry of Petroleum and Natural Gas is authorized to do so with the approval of the Minister, PNG.
- 10. Subject to the above, all other provisions of the New Domestic Gas Pricing Guideline, 2014 shall continue to remain valid.
- 11. These guidelines shall be read harmoniously with provisions of all applicable laws and other relevant notifications and guidelines of the Government. This notification shall come into effect from the date of publication in the gazette.

ANAND KUMAR JHA, Dy. Secy.